कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल-462004
//आदेश//

भोपाल,दिनांक 16/5/2018

क्रमांक/993 /113/आउशि/अनु.ब/17. मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक- एफ 73/59/38-3/99 दिनांक 28 अक्टूबर- 1999 तथा क्रमांक- एफ-1 (43)/05/1/अड़तीस, भोपाल, दिनांक 29.1.2008 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की अनुवीक्षण समिति द्वारा की गई अनुशंसा व निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करने पर **प्रवर श्रेणी वेतनमान** एवं म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/73-5/2014/38-3 दिनांक 19-20/3/15 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक एफ.1/124 /2010/38-1, दिनांक 14/9/12 में अंकित चार्ट के स.क्र.-4 में उल्लेखित अर्हता के अनुसार स्वीकृत किये गये प्रवर श्रेणी वेतनमान की तिथि से 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को **चतुर्थ पे-बैण्ड** दिया जाना है।

2. उक्त आदेश एवं निर्देशों के अनुक्रम में अनुदान प्राप्त **अशासकीय अम्बाह पीजी महाविद्यालय,अम्बाह(मुरैना)** के निम्न ग्रंथपाल को वि.वि.अनुवीक्षण समिति से प्राप्त प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा एवं अभिलेखों के आधार पर परीक्षणोपरान्त उनके नाम के समक्ष कॉलम-3 में अंकित तिथि से **प्रवर श्रेणी वेतनमान (3700-5700/12000-18300)** एवं कॉलम-4 में अंकित तिथि से **चतुर्थ पे-बैण्ड (37400-67000+9000एजीपी)** स्वीकृत किया जाता है:-

स.क्र.	**सहायक प्राध्यापक का नाम एवं पदनाम**	**प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन की तिथि**	**चतुर्थ पे-बैण्ड में स्थानन की तिथि**
1	2	3	4
1	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, ग्रंथपाल सेनि	27.7.98	1.1.06

3. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित अधिकारियों का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु किसी भी प्रकार के अनियमित/अधिक भुगतान हेतु वचन पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें । यह भी सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित अधिकारी अनुदान हेतु स्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत रहे है ।

4. यदि किसी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध एवं अन्य कोई जांच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुये तत्काल जानकारी आयुक्त,उच्च शिक्षा को भेजें ।

5. यदि किसी अधिकारी द्वारा वेतनमान संबंधी न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो निर्णय के परिपेक्ष्य में वेतन निर्धारण/भुगतान कर प्रकरण का तत्काल निराकरण करते हुये इस कार्यालय को अवगत करावें।

6. शासन द्वारा जारी अद्यतन नियमों को पालन सुनिश्चित किया जावे । किसी भी प्रकार के अनियमित वेतन निर्धारण/भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं संस्था प्राचार्य की होगी ।

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)

15/5/18
(डॉ.सुषमा दुबे)
अपर संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा,म.प्र.,भोपाल

निरंतर....2

पृ0क्र0/ 994 /113/आउशि/अनु.ब/17 भोपाल,दिनांक 16/5/2018

प्रतिलिपिः-

1. माननीय मंत्री,उच्च शिक्षा,म.प्र.शासन के निज सचिव ।
2. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
3. महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर ।
4. कार्यालय संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
5. उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ------------- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. कुलसचिव,जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर ।
7. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,ग्वालियर-चंबल संभाग,ग्वालियर ।
8. वि.क.अ.(आई.टी.सेल),कार्या.आयुक्त,उच्च शिक्षा,भोपाल की ओर विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
9. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी,शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,मुरैना ।
10. प्राचार्य,अनुदान प्राप्त अशासकीय अम्बाह पीजी महाविद्यालय, अम्बाह(मुरैना)। कृपया आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को भी उपलब्ध कराने का करावे ।
11. कोषालय/उप कोषालय अधिकारी,संबंधित कोषालय,मध्यप्रदेश।
12. संबंधित अधिकारी,अनुदान प्राप्त अशासकीय अम्बाह पीजी महाविद्यालय,अम्बाह(मुरैना)।

अपर संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा,म.प्र.,भोपाल